अध्याय- VIII

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

8.1 निष्कर्ष

दिशानिर्देशों में परिकल्पित आधारभूत सर्वेक्षण तथा बॉटम-अप योजना प्रक्रिया के अभाव के कारण मनरेगा योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आवधिक सर्वेक्षणों के अभाव में ग्राम पंचायतों के पास वास्तविक रोजगार मांग, मौसमी कार्य आवश्यकताओं तथा आजीविका प्रवृत्तियों से संबंधित अद्यतन आंकड़े का अभाव था। इसके परिणामस्वरूप, अवास्तविक श्रम बजट एवं विकास योजनायें तैयार हुई। अनिवार्य भागीदारी योजना प्रक्रिया तथा बॉटम-अप दृष्टिकोण को काफी हद तक दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में लगभग 86 प्रतिशत कार्य ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना निष्पादित किए गए थे। श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजनाएं प्रायः विलंब से तैयार की गईं तथा जनपद एवं जिला पंचायतों की स्वीकृति के बिना ही अंतिम रूप दिया गया।

रोजगार की मांग के गलत आंकलन, अवास्तविक अनुमानों एवं मनमाने प्रशासनिक समायोजन के कारण अनुमानित, अनुमोदित एवं वास्तविक मानव-दिवस के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियां थी, जिसने योजना की मांग-आधारित प्रकृति को कमजोर कर दिया।

सभी स्तरों पर निरंतर मानव संसाधन की कमी ने कार्यक्रम के निष्पादन को कमजोर कर दिया। स्वीकृत 15,354 पदों के विरुद्ध 21 प्रतिशत पद रिक्त रहे, जिनमें राज्य स्तर पर 35 प्रतिशत तथा जनपद स्तर पर 33 प्रतिशत रिक्तियां शामिल हैं। अभियंता एवं तकनीकी सहायक जैसे प्रमुख तकनीकी पदों पर पर्याप्त नियुक्ति नहीं की गई तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्वीकृत ढांचे को अनुमोदन न दिए जाने के कारण अनिवार्य रूप से तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना भी नहीं की जा सकी। प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के प्रयास नगण्य रहे, जहाँ लक्षित प्रशिक्षणों की तुलना में 97 प्रतिशत की कमी पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों की गुणवत्ता, निगरानी एवं पर्यवेक्षण गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान राशि ₹ 29.62 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 54.96 करोड़ का जुर्माना एवं ब्याज संचित हुआ। इनमें से ₹ 40 करोड़ की राशि राज्य निधि से भुगतान की गई, जिससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा, एवं 18 लाख से अधिक परिवारों को अधिकांशतः देय बेरोजगारी भत्ता भुगतान नहीं किया गया, जो वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

वर्ष 2019-24 के दौरान, स्वीकृत 20.83 लाख कार्यों में से केवल 12.64 लाख (61 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हुए, जबकि 3.87 लाख कार्य अपूर्ण रहे तथा 4.32 लाख कार्य प्रारंभ ही नहीं किए गए। छः नमूना-जांच किए गए जिलों में 33,306 से अधिक कार्य अपूर्ण पाए गए तथा 66,297 कार्य प्रारंभ नहीं किए गए। खराब योजना, स्थल संबंधी विवादों एवं अपर्याप्त पर्यवेक्षण के कारण नमूना-जांच किए गए कार्यों में ₹ 1.25 करोड़ का व्यर्थ एवं निष्फल व्यय हुआ तथा स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन में विफलता हुई।

क्लस्टर सुविधा परियोजना जिसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों में प्रदर्शन में सुधार करना है का परिचालन में विलंब, विषयगत विशेषज्ञों की अपर्याप्त तैनाती (केवल 11 प्रतिशत की नियुक्ति) तथा ₹ 6.56 करोड़ के भुगतान के बावजूद प्रदर्शन संबंधी लक्ष्यों की खराब उपलब्धि के कारण काफ़ी हद तक अप्रभावी रहा। भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित योजना, मानव-दिवस सृजन तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन व्यय से संबंधित प्रमुख लक्ष्यों को पूर्ण नहीं किया गया। इसके बावजूद, प्रदर्शन मूल्यांकन किए बिना मानव संसाधन एजेंसी के अनुबंध का विस्तार कमजोर शासन को दर्शाता है।

रोजगार दिवस का अनियमित आयोजन (केवल 70 प्रतिशत आयोजन) सामुदायिक जागरूकता की कमी को दर्शाता है। अधिनियम के अंतर्गत एक मुख्य जवाबदेही तंत्र, अर्थात् सामाजिक अंकेक्षण, को मापदंडो के अनुसार लागू नहीं किया गया, जिससे कुछ वर्षों में 99.97 प्रतिशत तक ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण नहीं किया गया था। योजना के क्रियान्वयन में कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निगरानी तंत्र काफी हद तक कार्यहीन रहा, क्योंकि जिला गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था।

राज्य भर में महिलाओं की निरंतर और उल्लेखनीय भागीदारी योजना में उनकी मजबूत सहभागिता को दर्शाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी भी उनकी जनसंख्या के अनुरूप रही, जो मनरेगा में संतुलित एवं समावेशी सहभागिता को इंगित करती है।

8.2 अनुशंसाएं

राज्य सरकार को चाहिए कि:

- ***एक निर्धारित तिथि के साथ सर्वेक्षण के आधार पर परिवारों के आधारभूत आंकड़े अधिसूचित करे तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों की उच्च भागीदारी द्वारा जमीनी स्तर के नियोजन तंत्र को सुदृढ़ करना एवं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त मानव संसाधन प्रदान करना ;***
- ***यह सुनिश्चित करे कि वार्षिक विकास योजना में शामिल कार्यों को ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए;***

- *मजदूरी तथा कर्मचारियों के वेतन का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करना;*
- *रोजगार की मांग का प्रलेखन एवं बेरोजगारी भत्ते का समय पर वितरण सुनिश्चित करना तथा मांग सत्यापन प्रक्रियाओं को नरेगासॉफ्ट के अंतर्गत एकीकृत करना;*
- *सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण हेतु पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराना तथा अनुवर्ती कार्यवाही की बारीकी से निगरानी करना।*

रायपुर **(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)**

दिनांक: 30 मार्च 2026 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**

छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 06 अप्रैल 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**